न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :— 39/2017

जगदीश उम्र व्यस्क पुत्र खींवाराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

— निगरानीकार

—बनाम—

1. सुगना उर्फ सुगणा उम्र व्यस्क पुत्री पोकरराम पत्नी माडूराम जाति मेघवाल, निवासी जालिमपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. ग्राम पंचायत चुड़ेला, पंचायत समिति अलसीसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चुड़ेला।

— गैर निगरानीकार

निगरानी विरूद्ध वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 06.3.2017

उपस्थितिः—

1 .श्री विनोद गिल , एडवोकेट ——— ——— ———निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री राजेश पूनियां,एडवोकेट——————————————गैर निगरानीकार की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 29.07.2019

उक्त निगरानी विरूद्ध वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 06.3.2017 ग्राम पंचायत चुड़ेला, पंचायत समिति अलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीया नंबर 1 पोकरराम की पुत्री है जिसमें गलत तथ्यों व तथ्यों को छुपाकर अपने आपको पूर्ण की पुत्री बताते हुये वारिस प्रमाण पत्र जारी करवा लिया तथा उक्त वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण की हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 305 अपने नाम तस्दीक करवा लिया। ग्राम नांद पटवार हल्का चुडेला में भूमि गत खसरा नंबर 53 रकबा 17 बीघा 16 विश्वा, हाल खसरा नंबर 112 रकबा 4.50 हैक्टर स्थित है। जिसको गोरधन खींवाराम पोकर 2/3 हिस्सा काश्त करते थे और 1/3 हिस्सा दूधाराम के वारिसान काश्त करते थे। अप्रार्थीया नंबर 1 पोकर की पुत्री है जिसके नाम से भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड बने हुये हैं जिसके मुताबिक अप्रार्थीया नंबर 1 पोकरराम की पुत्री है। अप्रार्थीया नंबर 1 ने गलत रूप से अपने आपको पूर्ण की पुत्री बताते हुये वारिस प्रमाण पत्र जारी करवा लिया तथा भूमि खसरा नंबर 112 रकबा 4.50 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया। नामांतरकरण संख्या 305 गलत रूप से प्रमाण पत्र जारी करवाकर उक्त वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 6.3.2017 गलत रूप से जारी किया है जिसको निगरानीकार निरस्त करवाने का अधिकारी

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

है। गैर निगरानीकार नंबर 1 वर्तमान दस्तावेज में पोकरराम की पुत्री बता रही है तथा भूमि हड़पने के लिए पूर्ण की पुत्री बता रही है। सही तथ्य यह है कि गैर निगरानीकार नंबर 1 पोकर राम की पुत्री है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा जारी किया गया गलत वारिस प्रमाण पत्रं निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाये या पत्रावली ग्राम पंचायत को उक्त वारिस प्रमाण पत्र निरस्त कर पुनः जांच करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाये।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अप्रार्थीया नंबर 1 पोकरराम की पुत्री है जिसमें गलत तथ्यों व तथ्यों को छुपाकर अपने आपको पूर्ण की पुत्री बताते हुये वारिस प्रमाण पत्र जारी करवा लिया तथा उक्त वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण की हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 305 अपने नाम तस्दीक करवा लिया। ग्राम नांद पटवार हल्का चुडेला में भूमि गत खसरा नंबर 53 रकबा 17 बीघा 16 विश्वा, हाल खसरा नंबर 112 रकबा 4.50 हैक्टर स्थित है। जिसको गोरधन खींवाराम पोकर 2/3 हिस्सा काश्त करते थे और 1/3 हिस्सा दूधाराम के वारिसान काश्त करते थे। अप्रार्थीया नंबर 1 पोकर की पुत्री है जिसके नाम से भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड बने हुये हैं जिसके मुताबिक अप्रार्थीया नंबर 1 पोकरराम की पुत्री है। अप्रार्थीया नंबर 1 ने गलत रूप से अपने आपको पूर्ण की पुत्री बताते हुये वारिस प्रमाण पत्र जारी करवा लिया तथा भूमि खसरा नंबर 112 रकबा 4.50 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया। नामांतरकरण संख्या 305 गलत रूप से प्रमाण पत्र जारी करवाकर उक्त वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 6.3.2017 गलत रूप से जारी किया है जिसको निगरानीकार निरस्त करवाने का अधिकारी है। गैर निगरानीकार नंबर 1 वर्तमान दस्तावेज में पोकरराम की पुत्री बता रही है तथा भूमि हड़पने के लिए पूर्ण की पुत्री बता रही है। सही तथ्य यह है कि गैर निगरानीकार नंबर 1 पोकर राम की पुत्री है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा जारी किया गया गलत वारिस प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाये।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार ने बताया कि निगरानी चलने योग्य नहीं है। निगरानी ग्राम पंचायत के किस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, निगरानी में अंकित नहीं किया गया है। फोटोकापी रिकार्ड पर नहीं ली जा सकती । वारिस प्रमाण पत्र निरस्त करने के अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

अति. जिला कलक्टर
झुन्झनू

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत चुड़ेला के लेटरपैड पर श्रीमती मनोहरी देवी पत्नी पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील मलसीसर के वारिसान के संबंध में जो वारिस प्रमाण जारी किया गया है, उसमें कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा/नियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चुड़ेला के किस प्रस्ताव से वारिस प्रमाण–पत्र दिनांक 6.3.2017 जारी किया गया है। वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं । उक्त वारिस प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत चुड़ेला द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर जारी किया गया है जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचाायत चुड़ेला द्वारा पत्र श्रीमती मनोहरी देवी पत्नी पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील मलसीसर के वारिसान के संबंध में जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 6.03.2017 निरस्त किया जाता है। गैर निगरानीकार नंबर–1 सक्षम न्यायालय में उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अपर कलेक्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राज.)

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू